भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4039

जिसका उत्तर 12 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

21 श्रावण, 1948 (शक)

सूचना प्रौद्योगिकी नियम और सामग्री नियंत्रण

4039. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों और इसके बाद के संशोधनों के कार्यान्वयन की कोई समीक्षा की है;
(ख) यदि हाँ, तो गत वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा सामग्री हटाने के कितने आदेश, ब्लॉक करने के आदेश और खाता निलंबन के कितने अनुरोध जारी किए गए हैं; और
(ग) सरकार का ऐसे निर्देशों के संबंध में कानूनी आधार और समग्र आँकड़ों सहित किस प्रकार पारदर्शिता बढ़ाने का विचार है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने प्रयोक्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम") सहित मौजूदा कानूनी ढांचे ने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थों पर स्पष्ट सम्यक सावधानी संबंधी दायित्व लगाए हैं।

सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों से यह अपेक्षित है कि जब भी किसी न्यायालय के आदेश के माध्यम से या उपयुक्त सरकार अथवा उसकी अधिकृत एजेंसी द्वारा लिखित रूप में दिए गए तर्कसंगत सूचना के माध्यम से उनके संज्ञान में लाया जाए, तो वे किसी भी गैरकानूनी जानकारी को हटा दें या उस तक पहुंच को अक्षम कर दें। ऐसी गैरकानूनी जानकारी में ऐसी जानकारी शामिल है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था; शिष्टता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, उपर्युक्त से संबंधित किसी अपराध के लिए उकसावे के संबंध में उस समय लागू किसी कानून के तहत निषिद्ध है\ या ऐसी कोई जानकारी जो उस समय लागू किसी कानून के तहत निषिद्ध है।

नवंबर 2025 में आईटी नियमों में संशोधन ने यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय पेश किए कि गैरकानूनी सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने की प्रक्रिया पारदर्शी, आनुपातिक और जवाबदेह तरीके से की जाए। संशोधित नियम 15 नवंबर, 2025 से प्रभावी हुए। संशोधन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

वरिष्ठ स्तर का प्राधिकरण:

- अवैध जानकारी को हटाने के लिए मध्यस्थों को कोई भी सूचना केवल संयुक्त सचिव के पद से नीचे के पद के वरिष्ठ अधिकारी, या समकक्ष, अथवा, जहाँ ऐसा पद नियुक्त न हो, निदेशक या पद में समकक्ष अधिकारी द्वारा ही जारी की जा सकती है और जहाँ ऐसा प्राधिकृत हो, अपनी अधिकृत एजेंसी में एकल संबंधित अधिकारी के माध्यम से कार्य करते हुए, जहाँ ऐसी एजेंसी नियुक्त की गई हो।
- पुलिस प्राधिकरणों के मामले में, केवल पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के पद से नीचे के पद का कोई अधिकारी, जिसे विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो, ऐसी सूचना जारी कर सकता है।

- **विशिष्ट विवरण के साथ तर्कसंगत सूचना:**
 सूचना में कानूनी आधार और वैधानिक प्रावधान, अवैध कृत्य की प्रकृति, तथा हटाई जाने वाली जानकारी, डेटा या संचार लिंक का विशिष्ट यूआरएल/पहचानकर्ता या अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्थान स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए।

- **आवधिक समीक्षा तंत्र:**
 आईटी नियमों के तहत जारी की गई तर्कसंगत सूचनाओं की मासिक समीक्षा उपयुक्त सरकार के सचिव के पद से नीचे के पद के अधिकारी द्वारा की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी कार्रवाइयाँ आवश्यक, आनुपातिक और कानून के अनुरूप बनी रहें।

- **अधिकारों और जिम्मेदारियों का संतुलन:**

 संशोधन नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और राज्य की वैध विनियामक शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रवर्तन कार्रवाइयाँ पारदर्शी हों और मनमाने प्रतिबंधों का कारण न बनें।
